भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 254

सोमवार, 02 फरवरी, 2026 / 13 माघ, 1947 (शक)

चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

†254. श्री जगदम्बिका पाल:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री बलभद्र माझी:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री राहुल सिंह लोधी:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमिकों और नियोक्ताओं के संदर्भ में विशेषकर ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में 21 नवंबर 2025 से प्रभावी होने वाली चार श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत आरंभ किए गए सरलीकृत अनुपालन तंत्रों जैसे कि एकल-खिड़की फाइलिंग, वेब-आधारित निरीक्षण और श्रमिकों तथा प्रतिष्ठानों के लिए एक समान परिभाषाओं संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उक्त तंत्रों को किस प्रकार लागू किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के परिणामों का आकलन करने के लिए विशेषकर ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में कोई निगरानी या मूल्यांकन ढांचा तैयार किया है, जिनमें कारोबार करने की सुगमता, कार्यस्थल सुरक्षा और कार्यबल के औपचारिकीकरण पर उनका प्रभाव शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं अर्थात् वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 को लागू किया गया है जो ओडिशा सहित देश भर में दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हो गई हैं। चार श्रम संहिता एकल पंजीकरण, लाइसेंसिंग और रिटर्न की सुविधा प्रदान करती हैं, परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता कम करती हैं, यह प्रौद्योगिकी के उपयोग को सरल बनाती हैं, प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही, यह कामगारों, जिसमें असंगठित कामगार भी शामिल हैं, को उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती है और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देती है।

जारी-2/-

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण, निरीक्षणों की रिपोर्टिंग और वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल के रूप में कार्य करता है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होता है, देरी को कम किया जाता है और पहुंच और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। यह पोर्टल उन इकाइयों के पंजीकरण, उनके अनुपालन रिपोर्टिंग की स्थिति और वैधानिक रिटर्न जमा करने से संबंधित व्यापक क्षेत्र/उद्योग-वार और राज्य-वार आँकड़े को भी शामिल करता है।

श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

वेतन संहिता 2019:

- पिछले अधिनियम में अनुसूचित रोजगार की तुलना में सभी नियोजनों के लिए न्यूनतम वेतन का सार्वभौमीकरण करना।
- निम्नतम वेतन (फ्लोर वेज) सीमा को वैधानिक बना दिया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। समुचित सरकार द्वारा निर्धारित वेतन की न्यूनतम दरें निम्नतम वेतन से कम नहीं होंगी।
- लैंगिक तटस्थता (जेंडेर न्यूट्रैलिटी) को बढ़ावा देना और ट्रांसजेंडर समेत भर्ती और वेतन भुगतान में भेदभाव को प्रतिबंधित करना
- सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान।
- 50% से अधिक भत्तों को वेतन का हिस्सा बनाया गया है जिससे मातृत्व लाभ, उपदान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान आदि में वृद्धि होगी।

औद्योगिक संबंध संहिता 2020:

- सामूहिक सौदेबाजी को सुविधाजनक बनाने के लिए सांविधिक 'वार्ता संघ' और 'वार्ता परिषद'।
- औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए एक सदस्य के स्थान पर दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण। शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कर्मचारी का समान प्रतिनिधित्व होना।
- फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (एफटीई) शुरू किया गया है जहां ऐसे कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के बराबर सभी लाभ मिलते हैं। 1 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आनुपातिक ग्रेच्युटी।
- उल्लंघनों के लिए दंड को युक्तिसंगत बनाया गया है और अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:

- असंगठित कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों समेत सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा।
- नए प्रकार के रोजगार को ध्यान में रखते हुए, एग्रीगेटर, गिग कामगार, प्लेटफ़ॉर्म कामगार की परिभाषाएँ दी गईं हैं।

- कर्मचारियों की राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कवरेज को पूरे भारत में सार्वभौमिक रूप से विस्तारित किया गया जो वर्तमान में अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों तक सीमित थी।
- ईएसआईसी लाभ उन प्रतिष्ठानों तक विस्तार किए गए जहाँ 10 से कम स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी कार्यरत हैं।
- जोखिमपूर्ण प्रक्रिया वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य ईएसआईसी कवरेज भले ही वहां एक ही कर्मचारी कार्यरत हो।
- कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का सार्वभौमिक कवरेज, अब 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। उद्योगों की अनुसूची से संबंधित मौजूदा प्रावधान हटा दिए गए हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020:

- यह संहिता 10 या और अधिक कर्मचारी वाले, अथवा जोखिमपूर्ण या जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य से जुड़े केवल एक कर्मचारी वाले संस्थानों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए प्रावधान करती है।
- अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र जारी करने के जरिए रोजगार को औपचारिक रूप देना।
- निर्दिष्ट आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता द्वारा मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करना।
- अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार की परिभाषा का विस्तार किया गया है जिसमें ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रवासी कामगार और स्व-प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। वे (क) वार्षिक एकमुश्त यात्रा भत्ता, (ख) लाभों की पोर्टेबिलिटी के पात्र होंगे।
- महिला कामगारों को उनकी सहमति और सुरक्षा के अध्यधीन, रात्रि के समय के साथ सभी प्रकार के कार्यों के लिए उन सभी प्रतिष्ठानों में कार्य करने की अनुमति देना।
